संसद में बहुमत के प्रकार: साधारण बहुमत

//

संसद में बहुमत के प्रकार

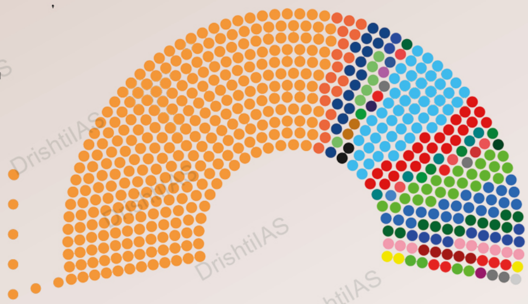

भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है:

(a) साधारण बहुमत द्वारा,
(b) विशेष बहुमत द्वारा या
(c) संसद का विशेष बहुमत + राज्यों की सहमति द्वारा

साधारण बहुमत

- सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से अधिकांश (50% से अधिक) का बहुमत

संवैधानिक प्रावधान – साधारण बहुमत द्वारा संशोधित

- नए राज्य– गठन/प्रवेश/स्थापना, मौजूदा राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन
- नागरिकता– अधिग्रहण और समाप्ति
- संसद– गणपूर्ति/कोरम, प्रक्रिया के नियम, संसदीय विशेषाधिकार/समितियाँ, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग
- राज्य विधान परिषद– उत्सादन/सृजन
- विधेयक– साधारण/वित्त
- वेतन एवं भत्ते– राष्ट्रपति, राज्यपाल, स्पीकर, न्यायाधीश, सांसद आदि।
- सर्वोच्च न्यायालय– अधिक क्षेत्राधिकार का प्रावधन, न्यायाधीशों की संख्या
- चुनाव– संसद और राज्य विधानसभा, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन
- अनुसूची– 5वीं (अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति) तथा 6वीं (जनजातीय क्षेत्र)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/types-of-majority-in-parliament-simple-majority-1